राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

62वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1	**राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :** **क)** बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** अंकित करने हेतु संबंधित शासनादेश जारी किया जाना है।	**क) एन.आई.सी. द्वारा ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में अवगत कराया गया कि सिक्योरिटी ऑडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी अनुक्रम में वेब एप्लीकेशन का प्रयोग भूमि अभिलखों पर ऑन-लाइन प्रभार सुगमतापूर्वक अंकित करने के लिए सभी बैंकों हेतु दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में एन.आई.सी. द्वारा सभी बैंकों का यूजर एडमिन का आईडी एवं पासवर्ड, क्रिएट करने हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। सभी बैंकों को एडमिन आई.डी. एवं पासवर्ड भी एन.आई.सी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।** **एन.आई.सी./शासन से अनुरोध हे कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंक के उपयोगार्थ यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करें।**
	ख) बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** को ऑन-लाइन फाईल करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी ऑडिट सहित अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने के उपरांत बैंकों के उपयोग हेतु संबंधित शासनादेश जारी किया जाना है। प्रत्येक जिले में 50 बड़ी राशि वाली लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की निगरानी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जानी है।	**ख) एन.आई.सी. द्वारा ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में अवगत कराया गया कि सिक्योरिटी ऑडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वेब एप्लीकेशन का प्रयोग वसूली प्रमाण पत्रों का ऑन-लाइन फाईलिंग सुगमतापूर्वक करने के लिए बैंकों हेतु दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।** **इस संबंध में एन.आई.सी. द्वारा सभी बैंकों का यूजर एडमिन का आईडी एवं पासवर्ड, क्रिएट करने हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। सभी बैंकों को एडमिन आई.डी. एवं पासवर्ड भी एन.आई.सी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।** **एन.आई.सी./शासन से अनुरोध हे कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंक के उपयोगार्थ यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करें।** **पूर्व में दाखिल किए गए वसूली प्रमाण पत्रों को अपलोड**

		करवाने के विषय में राजस्व विभाग से बैठक कर लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर सभी बैंक तद्त कार्यवाही हेतु एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। **50 बड़ी धनराशि वाली आर.सी. की निगरानी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किए जाने के संबंध में राजस्व विभाग से अनुरोध है कि इस विषयक प्रगति से सदन को अवगत कराएं।**
	ग - i) वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि क्रमश: **₹ 3.53 लाख**, **₹ 0.62 लाख**, **₹ 1.55 लाख** तथा **₹ 11.93 लाख**, जिनमें से प्रथम तीन काफी समय से लम्बित हैं एवं ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित हैं, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी है।	**ग - i) संबंधित आरसेटी संस्थाओं को निर्देशित कर दिया गया है कि वे लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अपने दावे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से करने की समुचित कार्यवाही करें। इस संदर्भ में अद्यतन सूचना प्रतीक्षित है।**
	ग - ii) आरसेटी संस्थान देहरादून, नैनीताल, टिहरी एवं पिथौरागढ़ हेतु आबंटित / चयनित भूमि में विभिन्न तकनीकी एवं स्थानीय कारणों से परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।	**ग - ii) इस संबंध में शासन स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है।**
	घ) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु कृषि विभाग द्वारा संयोजक के रुप में कार्य करते हुए अन्य संबंधित विभागों के साथ समान्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के उपरांत उसे क्रियान्वित किया जाना है।	**घ) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के संबंध में कृषि विभाग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना के अनुक्रम में "न्यू इण्डिया मंथन - संकल्प" के तहत एक कार्यशाला सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को बुलायी गयी थी। इसी अनुक्रम में आयोजित विभिन्न हितधारक विभाग के साथ विभिन्न बैठकों के सुझावों के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।**
	ङ) सरकार प्रायोजित समस्त ऋण योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाना।	**ङ) विभिन्न विभागों के अंतर्गत सरकार प्रायोजित समस्त ऋण योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जा रहे हैं।**

2	**बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :** **क)** समस्त बैंक सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उन्हें आबंटित वार्षिक ऋण योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकानुसार 40% की प्राप्ति सुनिश्चित करें। **ख)** निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात जून, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है। संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला सलाहकार समिति (डी.सी.सी.) की बैठक में इसके कारणों की समीक्षा कर, ऋण-जमा अनुपात के न्यूनतम मानक 40% की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास करें। साथ ही सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, संबंधित त्रैमास की एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की बैठक से पूर्व बी.एल.बी.सी. / डी.सी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठकों का अनिवार्यत: आयोजन करना सुनिश्चित करें। **ग)** नैनीताल बैंक कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में एक माह के अंदर बी.सी. की नियुक्ति करने के साथ-साथ वी.-सैट के आर्डर अनिवार्य रुप से प्रेषित कर	**क) वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 18468.80 करोड़ के सापेक्ष सभी बैंकों द्वारा सितम्बर, 2017 तक ₹ 7510.84 करोड़ की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की गयी है जो कि लक्ष्य का 41% है।** **ख) निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात जून, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है, लेकिन द्वितीय त्रैमास में संबंधित जिलों की प्रगति निम्नवत् है :** **अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं देहरादून जिलों के ऋण-जमा अनुपात में प्रगति परिलक्षित हो रही है। बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक, ऋण-जमा अनुपात समिति की बैठक के विषय में जानकारी अवगत कराएं।** **उक्त विषय में अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा समय पर कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया है।** **ग) नैनीताल बैंक द्वारा प्रदत सूचना के अनुरुप 56 एस.एस.ए. में से 46 एस.एस.ए. में कनेक्टिविटी अन्य माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी है और शेष 10 एस.एस.ए. हेतु वी.-सैट के आर्डर प्रेषित किए जा चुके हैं,**

जिला	जून, 2017
अल्मोड़ा	20%
बागेश्वर	22%
पौड़ी	22%
चम्पावत	23%
रुद्रप्रयाग	25%
टिहरी	26%
चमोली	26%
पिथौरागढ़	32%
देहरादून	32%

जिला	जून, 2017	सितम्बर, 2017
अल्मोड़ा	20%	22%
बागेश्वर	22%	21%
पौड़ी	22%	24%
चम्पावत	23%	23%
रुद्रप्रयाग	25%	24%
टिहरी	26%	26%
चमोली	26%	26%
पिथौरागढ़	32%	31%
देहरादून	32%	34%

	इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित बैंक 30 सितम्बर, 2017 तक कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण करें।	**जिनकी 30.11.2017 तक स्थापित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।** **वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2017 में नैनीताल बैंक को निर्देशित किया गया है कि सूचित किए गए तथ्यों की पुष्टि डी.एल.आर.सी. की बैठक में अनुमोदन होने के पश्चात ही आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड के एजेण्डे में सम्मिलित किया जाएगा।**
	घ) सभी बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के सापेक्ष शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड जारी करें। साथ ही अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड के वितरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करें।	**घ) इस विषयक बैंक नियंत्रकों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।**
	ङ) समस्त बैंक अपने सभी बैंक खातों के आधार सत्यापन के कार्य को अनिवार्य रुप से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करें।	**ङ) समस्त बैंकों द्वारा इस दिशा में वांछित कार्यवाही एक अभियान के अंतर्गत की जा रही है।**
	च) सभी बैंकों अनिवार्य रुप से तहसील स्तर पर वसूली प्रमाण पत्रों के मिलान का कार्य पूर्ण करें एवं अपने लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें ऋणी एवं उसके पिता का नाम, ग्राम / विकास खण्ड / जिला का नाम, आर.सी. फाईल करने की तिथि, आर.सी. की राशि तथा अब तक वसूल की गयी राशि का स्पष्ट रुप से उल्लेख हो, सॉफ्ट कॉपी **(Excel Sheet)** में तैयार कर दिनांक **10 सितम्बर, 2017** तक अनिवार्य रुप से इसकी एक प्रति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं।	**च) समस्त बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान का कार्य पूर्ण होने की पुष्टि अभी लम्बित है।**
	छ) समस्त बैंक अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को	**छ) बैंकों द्वारा निर्देशों का पालन करना नोट कर लिया गया है।**

	पूरा करते हैं, को इस योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें।	
	ज) समस्त बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें।	**ज) मुद्रा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एवं राज्य सरकार के सहयोग से "मुद्रा प्रोत्साहन कैम्प" दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा रु. 15.33 करोड के ऋण स्वीकृत किए गए। इस कैम्प में लगभग 4000 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।**
	झ) समस्त बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक बैंक शाखा हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।	**झ) "मुद्रा प्रोत्साहन कैम्प" में स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत रु. 7.85 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।**
	ञ) समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत बैंक शाखाओं को प्राप्त / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित करें।	**ञ) इस संबंध में समस्त बैंकों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुन: निर्देशित कर दिया गया है।**
3	सभी बैंक नियंत्रक, 30 सितम्बर, 2017 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-46** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **15 अक्टूबर, 2017** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	**बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा 08 नवम्बर, 2017 तक प्रेषित किए गए।**

****